भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*230
दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

†*230. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई क्षमता निर्माण और नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *230 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) पंचायत भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों का गठन और संचालन राज्यों द्वारा बनाए गए राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से होता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आते हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, 21 राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने इससे भी आगे बढ़कर अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है।

वर्तमान में, मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 25.11.2025 तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 24,24,108 है जिनमें से 12,06,013 (49.75%) महिला प्रतिनिधि हैं । जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह संख्या न्यूनतम 33% आरक्षण से अधिक है क्योंकि कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण है और महिला निर्वाचित प्रतिनिधि खुली (अनारक्षित) सीटों से भी चुनी जाती हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या परिवर्तनशील है और पंचायती राज संस्थाओं में समय-समय पर होने वाले नए चुनावों के साथ बदलती रहती है।

(ग) और (घ) पंचायती शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू की है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि बुनियादी मार्गदर्शन और पुनरावलोकन प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (25 नवंबर, 2025 तक) के दौरान कुल 27,32,762 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा, इस साल मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के अंतर्गत एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना तथा प्रभावी महिला नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधन और निर्णय लेने के कौशल विकसित करना है। 25 नवंबर 2025 तक कुल 44,143 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को इन मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

*****